महत्वपूर्ण एवं खास

राह चलते युवती से छेड़खानी, रिपोर्ट दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोतवाली में 21 वर्षीय युवती द्वारा मोहल्ले के दो लड़कों द्वारा छेड़खानी करने की रिपोर्ट दर्ज करायी है। पीडित लड़की ने बताया कि दिनांक 20/06/19 को रात्रि करीब 08:00 बजे अपने घर से किराना सामान लेने अपनी छोटी बहन के साथ किराना स्टोर जा रही थी। किराना स्टोर के पास मोहल्ले का विकास अपने साथी के साथ खड़ा था। दोनों लड़के पहले भी युवती को आते जाते कमेंट्स किया करते थे। युवती को देखकर गंदे कमेंट्स कर रहे थे जिसे युवती मना की तो विकास आकर हाथ पकड़ लिया उसकी छोटी बहन के बीच बचाव करने पर विकास का साथी उसे बुरी नियत से पकड़ लिया। इसी बीच युवती की उसकी मां और आसपास के लोग आकर बीच बचाव किये। युवती की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में विकास व उसके साथी के विरूद्ध अप.क्र. 464/19 धारा 354, 294, 506, 34 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

संतान नहीं होने पर पति द्वारा पत्नी को प्रताड़ना, रिपोर्ट दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। ग्राम नाचनपाली थाना कोसीर की रहने वाली महिला द्वारा थाना सारंगढ़ में उसके पति के विरूद्ध संतान नहीं दे पा रही हो कहकर शारीरिक मानसिक रूप से प्रताडित करने की रिपोर्ट दर्ज करायी है। पीडिता ने बताया करीब 03 वर्ष पूर्व माता पिता ने ग्राम नाचनपाली के खीकराम कोशले के साथ सामाजिक रूप से शादी किये हैं। मेरा कोई औलाद नहीं होने से मेरा पति आये दिन तेरा कोई औलाद नहीं हो रहा है बोलकर मारपीट कर प्रताड़ित करता है और मेरे मायके में लाकर छोड़ दिया। समाजिक बैठक में पंचो द्वारा समझाने पर दूसरा शादी करूंगा बोला। पीडिता के आवेदन पर आरोपी खीकराम कोशले के विरूद्ध अप.क्र. 277/19 धारा 498(ए), 323 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

सट्टा एक्ट लिखते एक युवक पकड़ाया

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोतवाली में पदस्थ सउनि आर.एस. तिवारी एवं आरक्षक भूपेन्द्र ठाकुर, जितेन्द्र दुबे द्वारा मुखबिर सूचना पर तुर्कापारा चांदनी चौक के पास जावेद अली पिता जकीर अली उम्र 25 वर्ष सा0 तुर्कापारा चांदनी चौक को सट्टा पट्टी लिखते हुए पकडे। जावेद अली के पास से नगद 2200 रूपये, एक डाटपेन, सट्टा पट्टी जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में अप.क्र. 465/19 धारा 4(क) जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

बाईक में घुसा सांप, काफी मशक्कत के बाद निकाला गया

न्याय साक्षी/रायगढ़। शहर के जूटमिल इलाके में देर रात एक जहरीला सांप मोटर सायकल में घुस गया और उसे निकालने के लिए काफी जद्दोजहद करने के बाद जब सांप नही निकला तो स्थानीय लोगों ने सांप पकड़ने वाले युवकों को बुलाया। तत्काल सूचना मिलने के बाद वहां पहुंचे शहर के दो युवकों ने मात्र 10 मिनट के अंदर ही मोटर सायकल की टंकी में दुबके जहरीले सांप को बोतल में बंद कर लिया। लेकिन सांप को पकड़ने के दौरान उसे मारने के प्रयास भी किए गए थे जिससे वह घायल था। सांप पकड़ने वाले युवक का कहना है कि वे निःशुल्क सेवा शहरवासियों को दे रहे हैं और अब तक कई जगह जाकर जहरीले सांप को पकडकर जंगल में छोड़ चुके हैं दो या तीन बार सांप काटने की वारदात जरूर हुई है पर वे यह काम लगातार करते जा रहे हैं।

आबकारी विभाग ने अवैध शराब परिवहन करते 178 गाड़ियां जप्त की

71 गाड़ियों को किया राजसात

न्याय साक्षी/रायगढ़। आबकारी विभाग की टीम ने जिले में विगत वर्षों में अवैध शराब (मात्रा 05 लीटर से अधिक) परिवहन करते 178 गाडियां जप्त कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किये हैं। इनमें 71 गाडियां राजसात और 8 गाडियां नीलाम की जा चुकी है। 15 गाडियां जुर्माना जमा करने पर, 22 गाडियां उन्मुक्ति के आदेश तथा दो गाडियां सुपुर्दनामें पर दी गई।

इन मामलो में अपराधियों से 27 चार पहिया और 02 ऑटो और कुल 149 दो पहिया वाहन (मोटरसायकल, स्कूटी और मोपेड) पकड़े गये। इसमें 11 बोलेरो, 03 स्कार्पियों, 03 पिक-अप, 02-02 बोलेरो कैम्पर और मार्शल 01-01 ट्रक लॉरी कंटेनर और छोटा हाथी के अलावा सवारी गाडियां 01-01 बस, टाटा सुमो, वेगेनार, मारूती 800, ओमनी वैन, जीप भी शराब की तस्करी में पकड़ी गई थी। दो प्रकरणों में एक-एक लाख रूपये जुर्माना जमा करने पर बोलेरो और स्कॉर्पियो गाड़ी को छोड़ने का आदेश कोर्ट ने दिया था। गाडियों की नीलामी और जुर्माने से शासन को 1,16,250 रुपए और 3,30,000 रुपए कुल 4,46,250 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में अवैध शराब बनाने, बेचने या परिवहन पर छः मास से दो साल तक की सजा के साथ दस से पचास हजार जुर्माने के साथ वाहन जप्त करने का प्रावधान है। शराब की मात्रा पांच लीटर से अधिक होने पर सजा एक से तीन साल तक और जुर्माना पच्चीस हजार से एक लाख रूपये के साथ ही गाड़ी को राजसात करने कलेक्टर न्यायालय में पृथक से चालान प्रस्तुत किया जाता है। अपराध की पुनरावृत्ति पर सजा दो से पांच साल और जुर्माना हजार से दो लाख रूपये तक हो सकता है।

निर्मोही मां ने फावड़े से एकलौत बेटे को मौत के घाट उतारा

आरोपिया गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। 20 जून को थाना सरिया अन्तर्गत ग्राम बड्डनीपाली में रहने वाले महाबीर टंडन पिता स्व नहर टंडन उम्र 40 वर्ष के एकलौते पुत्र लोकेश टंडन की उसकी पति सुखमती ने कल लोहे के फावडे से गले में मारकर हत्या कर दी है। आरोपिया सरिया पुलिस की गिरफ्त में है।

जानकारी के अनुसार महाबीर टण्डन रोजी मजदूरी का काम करता है। महाबीर की पति सुखमती टंडन (उम्र 35 वर्ष) अपने एकलौते लडके लोकेश को पसंद नहीं करती थी। घटना के एक सप्ताह पूर्व सुखमती अपने बेटे लोकेश को मारकर ऊपर भेजने की बात कर रही थी। जिसे महाबीर ने मारपीट करने से मना किया था। 20 जून के सुबह लगभग 08 बजे महाबीर टंडन गांव के केशबो माली के घर मजदूरी करने गया था। घर में सुखमती और लोकेश थे कि सुखमती लोहे के फावडा (रापा) से लोकेश के गले में मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दी, जिसे महाबीर के आसपास के लोग बरमकेला अस्पताल लेकर गये। घटना की जानकारी मिलने पर महाबीर भी बरमकेला अस्पताल पहुंचा लोकेश बेहोश था। उसके दाहिने गले तरफ गहरा चोट था। प्राथमिक ईलाज के बाद आहत लोकेश को रायगढ़ रिफर किया गया। जहां से आहत लोकेश को जिन्दल या रायपुर ले जाने को कहने पर रायपुर ले जाते समय बसना के पास बालक लोकेश ने दम तोड दिया। घटना के संबंध में आरोपिया सुखमती टंडन के विरूद्ध थाना सरिया में धारा 302 भादंवि पंजीबद्ध कर आरोपिया को गिरफ्तार किया गया है, जिसे शीघ्र न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जावेगा।

सशस्त्र बल व जिला पुलिस बल का संयुक्त योगाभ्यास

न्याय साक्षी/रायगढ़। पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सुबह 7:00 बजे छठवीं वी बटालियन में जिला पुलिस बल व सशस्त्र बल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से योग अभ्यास किया गया।

योगाभ्यास के लिए पूर्व में परेड ग्राउंड का चयन किया गया था किंतु सुबह हो रही बूंदाबांदी को देखते हुए। सभी जवान लेकर हॉल में एकत्रित हुए। योगाभ्यास के लिए योग प्रशिक्षक श्री ननकू राम चौहान को आमंत्रित किया गया था जिनके द्वारा द्वारा योग अभ्यास स्थल पर दीप प्रज्वलित कर विधिवत योगाभ्यास का शुभारंभ किया गया। योग प्रशिक्षक के साथ-साथ अधिकारी एवं कर्मचारियों ने करीब 1 घंटे विभिन्न योग आसनो का अभ्यास किए। जिले के विभिन्न थानों में भी प्रातः जवानों द्वारा योगाभ्यास किया गया।

खनिज विभाग ने एक और खनन माफिया पर कसा शिकंजा

» अवैध उत्खनन में लगी थी इतनी सारी मशीनरी!

न्याय साक्षी/रायगढ़। खनिज विभाग व पर्यावरण विभाग की टीम की कार्यवाई अवैध उत्खनन पर की गई है। टीमरलगा गुड़ेली खेत्र में पत्थर खदान में अवैध उत्खनन करते और ओर परिवहन के लिए खड़ी ट्रेक्टरों पर किया गया। यह अवैध उत्खनन खनिज माफिया बराटू सिदार द्वारा कराया जा रहा था। जहां से 4 हाइवा, 4 ट्रेक्टर, एक जेसीबी एक रॉक ब्रोकर मशीन मौके से जप्त किया है।

खनिज विभाग की यह एक बड़ी कार्रवाई है जिसमे क्षेत्र के दूसरे रसूखदार खनिज माफिया पर कार्रवाई की गई है। क्षेत्र में कुछ खनिज माफिया पिछले 10-15 सालो से जमकर अवैध खनिज संपदा का जमकर दोहन किया और आज ये खनिज माफिया क्षेत्र के रसूखदार लोगो की लाइन में खड़े हो गए। खनिज संपदा का अवैध तरीके से दोहन कर इन लोगो के द्वारा पर्यावरण को ऐसी क्षति पहुंचाई है जिसका भरपाई करना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा शासकीय संपदा का जमकर दोहन कर मालामाल बन गए आज ऐसे खनिज माफियाओं की संपति की कुंडली निकाली जाए तो ये फर्श से अर्श तक का सफर अवैध खनिज संपदा का दोहन कर तय कर चुके हैं। फिलहाल उप संचालक खनिज एसएस नाग क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी आर के शर्मा व टीम की उपस्थिति में उक्त बड़ी कार्रवाई होना बताया जा रहा है। इसमें अवैध उत्खनन सहित पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के मामले में कार्रवाई किया जाना बताया जा रहा है।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठकुर्न्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य क्षय में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL
HINDI & ENGLISH MEDIUM SCHOOL
स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996
पिछले 22 वर्षों से लगातार बच्चों के साथ...
ADMISSION OPEN
ENGLISH MEDIUM
For Nurusery to 10th
Topper Students Last Session
Tarun 90% Yamini 98%
Shraddha 93% Priyanka 96%
Prerna 84% Hitendra 99%
Akanksha 90% Geetanjali 99%
Chetna 94% Arpita 93%
Arpita 98% Rakesh 97%
Sejal 88% Shiva 97%
Topper Students Last Session
Sushant 92% Prince 97%
Kusum 98% Abhishek 99%
Aayush 93% Prachi 97%
Tulika 96% Pari 96%
Aradhya 97% Ananya 99%
Ashish 96% Ankita 99%

Join CAREER...
Major Facts
1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....
CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

तत्काल आवश्यकता है
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090
ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज़ पेपर प्रिंटिंग
वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन "हेडलबर्ग" से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....
न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की
खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं.
9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480